रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072021-228163
CG-DL-E-07072021-228163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ़ 16, 1943
No. 384] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 474(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम(1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकिक योग्यता के विभागीय विकास के लिए विशेष भत्ता) नियम, 2002 में,-

(i) नियम 2 के खंड (i) की सारणी–2 में स्पष्टीकरणों के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण 1.- "अभिहित बीमांकक" से निगम का पूर्णकालिक अधिकारी अभिप्रेत है जो भारतीय बीमांकक संस्थान या बीमांकक संस्थान, लदंन का अध्येता सदस्य है और वह अभिहित बीमांकक के रुप में चयन के लिए

मुख्य कार्यकारी या मुख्य कार्यकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समिति द्वारा अभिहित बीमांकक के रुप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

स्पष्टीकरण 2.- कोई कर्मचारी केवल सारणी 2 के स्तंभ (5) या स्तंभ (6) अथवा स्तंभ (7) के अधीन विनिर्दिष्ट एक अतिरिक्त नियत भत्ते के लिए हकदार होगा ।"

(ii) नियम 3 के खंड (ग) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) नियम 4 के उपनियम (1) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) नियम 5 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आई-13011/02/2021-बीमा-1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 55(अ), तारीख 22 जनवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 564(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005, सा.का.नि. 753(अ) तारीख 15 अक्तूबर, 2009, सा.का.नि. 334(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2014, सा.का.नि. 5321(अ), तारीख 8 जून, 2017, और सा.का.नि 272 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

G.S.R. 474(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002, namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Second Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Special Allowance for In-House Development of Actuarial Capability) Rules, 2002,—

(i) in rule 2, in clause (i), in TABLE-2, for the Explanations, the following Explanations shall be substituted, namely:—

"Explanation 1.— "Designated Actuary" means a full-time officer of the Corporation, who is a fellow Member of the Institute of Actuaries of India or Institute of Actuaries, London and who is nominated as a Designated Actuary by the Chief Executive or an officer or committee authorised by the Chief Executive for selection as Designated Actuary.

Explanation 2.—An employee shall be entitled only for one Additional Fixed Allowance specified under column (5) or (6) or (7) of Table 2, whichever is higher.";

(ii) in rule 3, in clause (c), for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(iii) in rule 4, in sub-rule (1), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted;

(iv) in rule 5, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted.

[F. No. I-13011/02/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 55(E), dated the 22nd January, 2002 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 564(E), dated the 5th September, 2005, G.S.R. 753(E), dated the 15th October, 2009, G.S.R. 334(E),

dated the 12th April, 2014, G.S.R. 5321(E), dated the 8th June, 2017 and G.S.R. 272 (E), dated the 15th April, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 475(अ).— केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम(1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ समूह (चयन, सेवा के निबंधन एवं शर्तें तथा भत्ते का संदाय) नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ समूह (चयन, सेवा के निबंधन एवं शर्तें तथा भत्ते का संदाय) संशोधन नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ समूह (चयन, सेवा के निबंधन एवं शर्तें तथा भत्ते का संदाय) नियम, 2007 में, -

(i) नियम 3 में, -

(क) खंड (क) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 8 के उपनियम (1) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) नियम 10 के उपनियम (2) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) नियम 11 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(v) नियम 12 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आई-13011/02/2021-बीमा-1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 304(अ), तारीख 25 अप्रेल, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

G.S.R. 475(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Life Insurance Corporation of India, Information Technology Specialist Group (Selection, terms and conditions of service and Payment of Allowance) Rules, 2007, namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Information Technology Specialist Group (Selection, terms and conditions of service and Payment of Allowance) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Life Insurance Corporation of India Information Technology Specialist Group (Selection, terms and conditions of service and Payment of Allowance) Rules, 2007, —

(i) in rule 3,—

(a) in clause (b), for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(b) in clause (c), for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(ii) in rule 8, in sub-rule (1), for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(iii) in rule 10, in sub-rule (2), for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(iv) in rule 11, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(v) in rule 12, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted.

[F. No. I-13011/02/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number G.S.R. 304 (E), dated the 25th April, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 476(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम(1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 के नियम 2 के खंड (घ) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आई-13011/02/2021-बीमा-1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1091(अ), तारीख 17 सितंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 269(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

G.S.R. 476(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, in rule 2, in clause (d), for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted.

[F. No. I-13011/02/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1091(E), dated the 17th September, 1986 and lastly amended *vide* number G.S.R. 269(E), dated the 15th April, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 477(अ).— केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम(1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग–3 और वर्ग-4 कर्मचारी (प्रोन्नति) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग–3 और वर्ग-4 कर्मचारी (प्रोन्नति) संशोधन नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग – 3 और वर्ग-4 कर्मचारी (प्रोन्नति) नियम, 1987 में, -

(i) नियम 5 के उपनियम (2) में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 6 में, -

(क) उपनियम (2) के परंतुक में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (4) में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) नियम 7 के उपनियम (1) में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) नियम 8 में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे;

(v) नियम 10 के उपनियम (1) में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे;

(vi) अनुसूची के क्रम संख्यांक 1 के सामने “पात्रता की शर्तें’ शीर्ष के अधीन “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “मुख्य कार्यकारी” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आई-13011/02/2021-बीमा-1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 824(अ), तारीख 25 सितंबर, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 462(अ), तारीख 30 अप्रैल, 1990, सा.का.नि. 229(अ) तारीख 23 अप्रैल, 1991, सा.का.नि. 226(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 833 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 1999, सा.का.नि. 565 (अ), तारीख 5 सितंबर, 2005, सा.का.नि. 779, (अ) तारीख 21 अक्तूबर, 2011 और सा.का.नि 690 (अ) तारीख 12 सितंबर, 2012 द्वारा संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

G.S.R. 477(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV employees (Promotion) Rules, 1987, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV employees (Promotion) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV employees (Promotion) Rules, 1987,—

(i) in rule 5, in sub-rule (2), for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(ii) in rule 6,—

(a) in sub-rule (2), in the proviso, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4) for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(iii) in rule 7, in sub-rule (1), for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(iv) in rule 8, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(v) in rule 10, in sub-rule (1) for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(vi) in the Schedule, against Sl. No.1, under the heading "Conditions of eligibility", for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted

[F. No. I-13011/02/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.No.824(E) dated the 25th September, 1987 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 462(E) dated the 30th April, 1990, G.S.R. 229(E) dated the 23rd April, 1991, G.S.R. 226(E) dated the 22nd April, 1997, G.S.R. 833(E) dated the 30th December, 1999, G.S.R. 779(E) dated the 21st October, 2011 and G.S.R. 690(E) dated the 12th September, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 478(अ).— केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीवन बीमा निगम नियम (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान) नियम, 1997, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रावृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को सेवानिवृत्ति उपदान का भुगतान) नियम, 1997 में-

(क) नियम 1, उपनियम(1) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) नियम 2, उपनियम (1), में—

(i) खंड (क) मे, "अधिनियम" शब्द के स्थान पर "अधिनियम" शब्द रखा जाएगा।

(ii) खंड (ख) में, दोनों स्थानों पर, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्—

'(ग) "मुख्य कार्यपालक और प्रबंध निदेशक" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य

कार्यपालक और प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है;

(ग) नियम 3 में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) स्पष्टीकारक ज्ञापन में, मद 1, में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. आई-13011/02/2021-बीमा-1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.77(अ) तारीख 14 फरवरी, 1997 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि.सं. 593(अ) तारीख 14 अगस्त, 2001 और सा.का.नि. सं.631 तारीख 22.09.2004 में संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

G.S.R. 478(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Payment of Gratuity to the Chairman and Managing Directors) Rules, 1997, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Life InsuranceCorporation of India (Payment of Gratuity to the Chairman and Managing Directors) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Payment of Gratuity to the Chairman andManaging Directors) Rules, 1997,—

(a) in rule 1, in sub-rule (1), for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shallbe substituted;

(b) in rule 2, in sub-rule (1),—

(i) in clause (a), for the word "act", the word "Act" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the word "Chairman" at both places, the word "Chief Executive" shall be substituted;

(iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

'(c) "Chief Executive and Managing Director" means the Chief Executive Officer and Managing Director appointed by the Central Government under section 4 of the Act";

(c) in rule 3, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(d) in the EXPLANATORY MEMORANDUM, in item 1, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted.

[F. No. I-13011/02/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number G.S.R.77(E) dated 14th February, 1997 and subsequently amended *vide* G.S.R. No. 593 (E) dated 14th August, 2001 and G.S.R. No.631 dated 22.09.2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 479(अ).— केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) नियम, 1998 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) नियम, 1998 में -

(क) नियम 1, खंड (क) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) नियम 2 में, खंड (ख) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

(ग) नियम 3 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) नियम 4 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

(ड़) नियम 5 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

(च) नियम 6 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

(छ) नियम 7 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

(ज) नियम 8 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. आई-13011/02/2021-बीमा-1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, सा.का.नि.124(अ) तारीख 5 मार्च 1998 के द्वारा अधिसूचित किये गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 591(अ) तारीख 14 अगस्त 2001, सा.का.नि. 629(अ) तारीख 22 सितंबर 2004, सा.का.नि. 819(अ) तारीख 26 नवंबर 2008, सा.का.नि. 29(अ) तारीख 13 जनवरी 2017, और सा.का.नि. 1008(अ) तारीख 8 अक्तूबर, 2018 में संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

G.S.R. 479(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life InsuranceCorporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Chairman (certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1998, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Chairman (certain Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India Chairman (certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1998,—

(a) in rule 1, in clause (a), for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shallbe substituted;

(b) in rule 2, in clause (b), for the word 'Chairman', the word 'Chief Executive' shall besubstituted;

(c) in rule 3, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(d) in rule 4, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(e) in rule 5, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(f) in rule 6, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(g) in rule 7, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(h) in rule 8, for the word "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted.

[F. No. I-13011/02/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were notified *vide* G.S.R. 124 (E) dated 5th March, 1998 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. No. 591(E) dated the 14th August,.2001, G.S.R. 629 (E) dated the 22nd September,.2004, G.S.R. 819 (E) dated the26th November,.2008, G.S.R. 29(E) dated the 13th January, 2017 and G.S.R.1008(E) dated the 8th October, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 480(अ).— केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1988 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1988, नियम 2 में खंड (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

'(ख) "प्रबंध निदेशक" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत खंड (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;';

[फा. सं. आई-13011/02/2021-बीमा-1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड, उपखंड (ii) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.65(अ) तारीख 29 जनवरी, 1988 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि.सं. 125(अ) तारीख 5 मार्च 1998 156 (अ) तारीख 31 मार्च 1998 (शुद्धि पत्र) सा.का.नि. 592(अ) तारीख 14 अगस्त 2001, सा.का.नि.630 (अ) तारीख22 सितंबर 2004, सा.का.नि. 820(अ) तारीख 26 नवंबर 2008, 30(अ) तारीख 13 जनवरी 2017 और सा.का.नि. 1009(अ) तारीख 8 अक्टूबर 2018 संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

G.S.R. 480(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Managing Directors (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1988, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Managing Directors (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India Managing Directors (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1988, in rule 2, for clause (b) and the entries thereto, the following clause shall be substituted, namely:—

'(b) "Managing Director" means a person appointed as such by the Central Government under clause (c) of sub-section (2) of section 4 of the Act;';

[F. No. I-13011/02/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section, Sub-section (ii) *vide* G.S.R. 65(E) dated 29th January, 1988 and subsequently amended *vide* G.S.R.125 (E) dated the 5th March, 1998, G.S.R.156 (E) dated the 31st March, 1998, (Corrigenda) G.S.R. 592(E) dated the 14th August,.2001, G.S.R. 630 (E) dated the 22nd September.2004, G.S.R.820 (E) dated the 26th November,.2008, G.S.R 30 (E) dated the 13th January, 2017 and G.S.R. 1009(E) dated the 8th October, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 481(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) द्वितीय संशोधन नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) नियम, 1960 (इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) नियम 1 में "निगम" शब्द के बाद "भारतीय" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा

3. उक्त नियमों में "अध्यक्ष" शब्द, जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 7 में, -

(क) उप-नियम (3) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द को रखा जाएगा।

(ख) उप-नियम (4) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 10 में, परंतुक में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 18 में, उप-निगम (2) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम 22 में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

8. उक्त नियमों के नियम 23 में, -

(क) उपनियम (2) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप नियम (3) में, -

(i) खंड (क) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ii) खंड (ग) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

9. उक्त नियमों के नियम 25 में, उप नियम (3) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

10. उक्त नियमों के नियम 26 में, उप नियम (1) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

11. उक्त नियमों के नियम 27 में, -

(क) उप नियम (1) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप नियम (2) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

12. उक्त नियमों के नियम 33 में, उप नियम (3) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

13. उक्त नियमों के नियम 40 में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

14. उक्त नियमों के नियम 47 में, -

(क) उप नियम (I) में, खंड (ख) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप नियम (3) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

15. उक्त नियमों के नियम 48 में, उप नियम (i) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

16. उक्त नियमों के नियम 50 में, उप नियम (2) में "सदस्यों" शब्द के स्थान पर "निदेशकों" शब्द रखा जाएगा।

17. उक्त नियमों के नियम 54 में, उप नियम (2) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

18. उक्त नियमों के नियम 55 में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

19. उक्त नियमों के नियम 58 में, "निगम" शब्द जहां भी आता है, के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

20. उक्त नियमों के नियम 59 में, "निगम" शब्द जहां भी आता है, के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

21. उक्त नियमों के नियम 68 में, टिप्पण 1 में, "निगम द्वारा नियुक्त" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड द्वारा नियुक्त" शब्द रखे जाएंगे।

22. उक्त नियमों के नियम 76 में, उप नियम (1ख) में, परंतुक में, "निगम द्वारा पेंशन स्कीम का गठन किया जाना है", शब्दों के स्थान पर "बोर्ड द्वारा पेंशन स्कीम का गठन किया जाना है" शब्द रखे जाएंगे।

23. उक्त नियमों के नियम 78 में, उप नियम (2) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

24. उक्त नियमों के नियम 81 में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

25. उक्त नियमों के नियम 81क में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

26. उक्त नियमों के नियम 82 में, "निगम परिवहन सुविधाएं प्रदान कर सकता है", शब्दों के स्थान पर "बोर्ड परिवहन सुविधाएं प्रदान कर सकता है" शब्द रखे जाएंगे।

27. उक्त नियमों के नियम 83 में

(क) उप नियम (I) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप नियम (2) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

28. उक्त नियमों के नियम 84 में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

29. उक्त नियमों की अनुसूची-I में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

30. उक्त नियमों की अनुसूची-IV में -

(क) पहले स्तंभ में, "वि. संख्या" शब्द के स्थान पर "नियम संख्या" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) तीसरे स्तंभ में, संबंधित प्रविष्टियों में –

(i) नियम 11, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ii) नियम 17, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(iii) नियम (61, 65, 66, 66क और 68) "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. आई-13011/02/2021-बीमा-1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) की अधिसूचना संख्यांक तारीख 23 जुलाई 1960 में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 459(अ). तारीख 30 जून 2021 को अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

G.S.R. 481(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation (Staff) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation (Staff) Second Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation (Staff) Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, after the word "Corporation", the words "of India" shall be inserted.

3. In the said rules, for the words "Chairman" wherever it occur, the words "Chief Executive" shall be substituted.

4. In rule 7 of the said rules,—

(a) in sub-rule (3), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

5. In rule 10 of the said rules, in the proviso, for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

6. In rule 18 of the said rules, in sub-rule (2), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

7. In rule 22 of the said rules, for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

8. In rule 23 of the said rules,-

(a)in sub-rule (2), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted;

(b) in sub-rule (3),—

(i) in clause (a), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted;

(ii) in clause (c), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

9. In rule 25 of the said rules, in sub-rule (3), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

10. In rule 26 of the said rules, in sub-rule (1), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

11. In rule 27 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

(b) in sub-rule (2), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

12. In rule 33 of the said rules, in sub-rule (3), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

13. In rule 40 of the said rules, for the word "to the Corporation", the word "to the Board" shall be substituted.

14. In rule 47 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), in clause (b), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

(b) in sub-rule (3), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

15. In rule 48 of the said rules, in sub-rule (1), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

16. In rule 50 of the said rules, in sub-rule (2), for the word "Members", the word "Directors" shall be substituted.

17. In rule 54 of the said rules, in sub-rule (2), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

18. In rule 55 of the said rules, for the words "Corporation", the words "Board" shall be substituted.

19. In rule 58 of the said rules, for the words "Corporation" wherever it occur, the word " Board" shall be substituted.

20. In rule 59 of the said rules, for the word "Corporation" wherever it occur, the word "Board" shall be substituted.

21. In rule 68 of the said rules, in the Notes 1, for the words "appointed by the Corporation.", the words "appointed by the Board." shall be substituted.

22. In rule 76 of the said rules, in sub-rule (1B), in the proviso, for the words "pension scheme to be framed by the Corporation.", the words "pension scheme to be framed by the Board." shall be substituted.

23. In rule 78 of the said rules, in sub-rule (2), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

24. In rule 81 of the said rules, for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

25. In rule 81A of the said rules, for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

26. In rule 82 of the said rules, for the words "The Corporation may provide conveyance facilities", the words "The Board may provide conveyance facilities" shall be substituted.

27. In rule 83 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), for the word "the Corporation", the word "the Board" shall be substituted.

(b) in sub-rule (2), for the word "the Corporation", the word "the Board" shall be substituted.

28. In rule 84 of the said rules, for the word "the Corporation", the word "the Board" shall be substituted.

29. In Schedule-I of the said rules, for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

30. In Schedule IV of the said rules,—

(a) in the first column, for the words "Reg. No.", the words "Rule number" shall be substituted;

(b) in the third column, in the entries relating to—

(i) rule 11, for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted;

(ii) rule 17, for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted;

(iii) rules [61,65, 66, 66A & 68], for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

[F. No. I-13011/02/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification dated the 23rd July, 1960 and lastly amended *vide* number G.S.R. 459(E), dated the 30th June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 482(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 (इसके पश्चात उक्त नियमों को कहा गया है) में नियम 2 में, उप नियम (ञ) –

(i) परंतुक में, -

(क) "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) "के अनुसार" शब्दों से पूर्व "धारा 2 में यथा परिभाषित" से अंत:स्थापित किया जाएगा।

(ii) परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"परंतु यह और कि जहां अधिनियम की धारा 4 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निगम के प्रबंध निदेशक ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व निगम के एक कर्मचारी हो, तब किसी संविदा, करार अथवा नियुक्ति पत्र अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशक की शर्तों के अध्यधीन इन नियमों के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रबंध निदेशक को निगम का एक कर्मचारी समझा जाएगा"

3. उक्त नियमों के नियम 3 में, - परंतुक में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

4. उक्त नियमों के नियम 5 में, उप-नियम 1 में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 8 में,

(क) उप-नियम (1) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप-नियम (2) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ग) उप-नियम (3) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 9 में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम 10 में, -

(क) उप-नियम (1) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप नियम (2) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

8. उक्त नियमों के नियम 11 में, -

(क) "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ख) परंतुक में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

9. उक्त नियमों के नियम 24 में, परंतुक में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

10. उक्त नियमों के नियम 32 में - उप नियम (2) में, "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

11. उक्त नियमों के नियम 35 में उप नियम 8 में नियम 2 के खंड ञ अथवा अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर्मचारी के परंतुक शब्दों को नियमों के उपर नियम ञ के परंतुक से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12. उक्त नियमों के नियम 36 में, उप-नियम (घ) "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

13. उक्त नियमों के नियम 39 में, उप नियम (I) में, खंड (ख) में, "निगम द्वारा अनुमोदित" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड द्वारा अनुमोदित" शब्द रखे जाएंगे।

14. उक्त नियमों के नियम 40 में, उप नियम (1) में

(क) खंड (ग) उपखंड (iv) और (v) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ख) खंड (छ) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ग) खंड (ज) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

15. उक्त नियमों के नियम 41 –

(क) उप नियम (4) में, टिप्पण (4) में स्पष्टीकरण (ii) "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप नियम (5) में, खंड (ग), (छ) और (ज) में "निगम" शब्द को "बोर्ड" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. उक्त नियमों के नियम 50 में, -

(क) उप नियम (1) और उसके परंतुक में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप नियम (2) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ग) उप नियम (3) में "निगम ध्यान रखेगा" शब्दों के स्थान पर "बोर्ड ध्यान रखेगा" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) उप नियम (4) और उसके परंतुक में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(ङ.) उप नियम (5) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

(च) उप नियम (6) और उसके परंतुक में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा

(छ) उप नियम (7) में "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा

17. उक्त नियमों के नियम 55 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

18. उक्त नियमों के नियम 55ख -

(क) नियम 2 के उप-नियम (ञ) के परंतुक अथवा अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर्मचारी के परंतुक शब्दों के स्थान पर नियम 2 के उप नियम (ञ) के परंतुक शब्द रखे जाएंगे।

(ख) "भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किसी कर्मचारी" तथा नियम 2 के उप-नियम (ञ) के परंतुक के द्वारा "शामिल किसी कर्मचारी के संबंध में" शब्दों के स्थान पर नियम 2 के उप-नियम ञ के परंतुक द्वारा "शामिल किए गए कर्मचारियों" शब्द रखे जाएंगे।

19. उक्त नियमों के परिशिष्ट-I में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यपालक" शब्द रखे जाएंगे।

20. उक्त नियमों के परिशिष्ट-IV में, पैरा (3ख) "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

21. उक्त नियमों के परिशिष्ट-V में, पैरा (ड.), "निगम" शब्द के स्थान पर "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. आई-13011/02/2021-बीमा-1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) की सा.का.नि. 525(अ) तारीख 28 जून, 1995 और अंतिम बार सा.का.नि. 324 (अ) तारीख 24 अप्रैल, 2019 को संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

G.S.R. 482(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Employees') Pension Rules, 1995, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Employees') Pension (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Employees') Pension Rules, 1995 (hereinafterreferred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (j),—

(i) in the proviso,—

(a) for the word, "Chairman", the word "Chief Executive" shall be substituted;

(b) before the words, "in accordance with", the words "as defined in section2" shall be inserted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that where the Managing Director of the Corporation appointed by the Central Government in accordance with Section 4 of the Act was immediately preceding such appointment an Employee of the Corporation, then, subject to the terms of any contract, agreement or letter of appointment or directions issued by the Central Government, such Managing Director for the purposes of these rules shall also be deemed to be an employeeof the Corporation.".

3. In rule 3 of the said rules, in the proviso, for the word "Corporation", the word "Board"shall be substituted.

4. In rule 5 of the said rules, in sub-rule 1, for the word "Corporation", the word "Board"shall be substituted.

5. In rule 8 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted;

(c) in sub-rule (3), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

6. In rule 9 of the said rules, for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

7. In rule 10 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

8. In rule 11 of the said rules,—

(a) for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted;

(b) in the proviso, for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

9. In rule 24 of the said rules, in the proviso, for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

10. In rule 32 of the said rules, in sub-rule (2), for the word "Corporation", the word "Board" shall be substituted.

11. In rule 35 of the said rules, in sub-rule (8), for the words "proviso to clause (j) of rule 2 or an employee appointed as a Managing Director under section 20 of the Act", the words"provisos to sub-rule (j) of rule 2" shall be substituted.

12. In rule 36 of the said rules, in sub-rule (d), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted.

13. In rule 39 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (b), for the words “approved by the Corporation” shall be substituted by the words “approved by the Board”

14. In rule 40 of the said rules, in sub-rule (1),—

(a) in clause (c), in sub-clauses (iv) and (v), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted;

(b) in clause (g), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted;

(c) in clause (h), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted.

15. In rule 41 of the said rules,—

(a) in sub-rule (4), in Notes (4), in Explanation (ii), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted;

(b) in sub-rule (5), in clauses (c), (g) and (h), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted.

16. In rule 50 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1) and its proviso, for the word “Corporation”, the word “Board”shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted;

(c) in sub-rule (3), for the words “the Corporation shall have regard” the words “the Board shall have regard” shall be substituted;

(d) in sub-rule (4) and its proviso, for the word “Corporation”, the word “Board”shall be substituted;

(e) in sub-rule (5), for the word “Corporation”, the word “Board” shall besubstituted;

(f) in sub-rule (6) and its proviso, for the word “Corporation”, the word “Board”shall be substituted;

(g) in sub-rule (7), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted.

17. In rule 55 of the said rules, for the word “Chairman”, the word “Chief Executive” shall be substituted.

18. In rule 55B of the said rules,—

(a) for the words “proviso to sub-rule (j) of Rule 2 and employees appointed as Managing Director under section 20 of the Act”, the words “provisos to sub- rule (j) of rule 2” shall be substituted;

(b) for the words “an employee appointed as Managing Director under section 20 of the Life Insurance Corporation of India Act, 1956, and in respect of an employee covered by proviso to sub-rule (j) of Rule 2”, the words “employees covered by the provisos to sub-rule (j) of rule 2” shall be substituted.

19. In Appendix I of the said rules, for the word “Chairman”, the word “Chief Executive” shall be substituted.

20. In Appendix IV of the said rules, in para (3B), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted.

21. In Appendix-V of the said rules, in para (e), for the word “Corporation”, the word “Board” shall be substituted.

[F. No. I-13011/02/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 525(E) dated the 28th June, 1995 and lastly amended *vide* G.S.R. 324(E) dated the 23rd April, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.07.07 22:28:25 +05'30'